

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

विभागीय आदेश ज्ञापांक- 3093 दिनांक- 29.06.2018 के द्वारा निम्नलिखित स्थानांतरित/पदस्थापित आपूर्ति निरीक्षक नवपदस्थापित स्थान प्रखंड/जिला के नाम में टंकण भूल वश कतिपय त्रुटि हो गई है जिन्हें निम्नांकित रूप से संशोधित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	आदेश के क्रमांक संख्या	नाम/पदनाम	गृह जिला	नव पदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला का नाम	संशोधित स्थान/प्रखंड/जिला का नाम
1.	99	श्री गजहरूल हक. आपूर्ति निरीक्षक	पूर्वी चम्पारण	भभुआ सदर, कैमूर	पाली, पटना

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक- 3093 दिनांक- 29.06.2018 के क्रमांक-99 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. उपर्युक्त आपूर्ति निरीक्षक संशोधित पदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।


31/08/18

(भरत कुमार दुबे)


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-स्था०-०७/२०१८ 4260 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/08/18
प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कैमूर/ अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) पटना /अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ सदर, कैमूर/पाली, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


31/08/18

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-स्था०-०७/२०१८ 4260 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/08/18
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


31/08/18

सरकार के संयुक्त सचिव ।